

न्यायालय लखनऊ कलम (अलव) राजा

सरकार जिरये रिपोर्ट पटवारी हल्का

खेडलीकरेला ठरका

दखीर मुंशी प्रभूपीठ
जोरकर

प्रकरण अन्तगत प्रायः वापलआर छुट

प्रकरण संख्या - RA 105/2019

निर्णय दिनांक :- 25/2/19

(1)

न्यायालयी प्रस्तुत हुई। भ्रमण संक्षेप में इस प्रकार है कि याम खेडलीकरेला

की आ.ख.नं. 160 कुल रकम 0.109 किया जातीय नीचुण में से 0.01

रकम पर श्री दखीर मुंशी प्रभूपीठ जोरकर पर अपात्रिकृत से अतिक्रमण कर श्री

मकीराकर काज्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का ठरका द्वारा दिनांक

27/8/18 को चरके विरुद्ध यामूनी वगैरह की दिव्य जाने की रिपोर्ट मय लाईव

शु.अ.निरी. दखीर के द्वारा प्रस्तुत दिव्य जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया

जाकर अतिक्रम दखीर मुंशी प्रभूपीठ जाति जोर निवासी खेडलीकरेला को

राज्य अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील

कराई गई। नोटिस वाद तामील प्राप्त होने पर शानिक न्यायालयो किया गया। अतिक्रमो

उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शानिक पत्रावली है।

उक्त रकम आ.ख.नं. 160 रकम 0.109 में से 0.01

रकम नीचुणभरघर जो निशान के साथ नीचे दिखाया नीचुणभरघर को अतिक्रमि

रकम से वेदखल किया जाने के आदेश दिव्य जाने में एक रुपय स्वरुप जमान 6paise का

50 गुणा 3k रकम पैनल्टी आरोपित की जाती है मांगा कायमी हेतु टीआरए को लिखा

जावे, पैनल्टी तपूली एवं वेदखली हेतु हल्का पटवारी ठरका शु.अ.निरी. दखीर

को लिखा जाकर वाद तकमील दाखिल दपतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में

सुनाया गया।


न्यायालय
लखनऊ (अलव) राजा

अतिरिक्त - प. ह.

वा. नि. सं. 4 के अंतर्गत सं. 37 काय. नं. 4

मं. 2018-19 तामील कायमी सं. 31

ही कायमी की गई


12/3/19